संख्या– 170 /XXVII(7)/19–30(02)/2008 टी.सी.

क,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वा में,

सचिव
विद्यालयी शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

त्त (वि0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून : दिनांक 18 जुलाई, 2019

विषय–छठें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर राजकीय अथवा अशासकीय विद्यालय के शिक्षकों के वेतन निर्धारण के सन्दर्भ में स्पष्टीकरण।

होदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा के पत्र संख्या–अर्थ 5(क)/33676/वे0निर्धा0 जिज्ञासा/2018–19 दिनांक 23 जनवरी, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर शिक्षा विभाग की प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शैक्षणिक पदों पर कार्यरत शिक्षकों के दिनांक 01–01–2006 से स्वीकृत/प्रतिस्थापित वेतनमानों में वेतन निर्धारण/वेतन वृद्धि की अनुमन्यता के सम्बन्ध में उक्त वर्णित पत्रों के माध्यम से वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा द्वारा की गयी निम्न जिज्ञासाओं के सम्बन्ध में निम्नवत् स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने की मुझसे अपेक्षा की गयी है:–

क्र.सं.	जिज्ञासा	स्पष्टीकरण
1.	चयन/प्रोन्नत वेतनमान प्राप्त शिक्षकों की पदोन्नति समान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में होने पर एक वेतन वृद्धि का लाभ देय होगा अथवा नहीं ?	शासनादेश संख्या–729/XXVII(7)/ 2010 वित्त(वे. आ–सा.नि.) अनुभाग–7 दिनांक 29 अक्टूबर, 2010 में स्पष्ट प्राविधानित है कि "ऐसे पदधारक जो समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम/द्वितीय प्रोन्नतीय वेतनमान में वैयक्तिक वेतनमान प्राप्त कर रहे थे और उनकी वास्तविक पदोन्नति पुनरीक्षित वेतन संरचना में उसी वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन के पद पर होती है तो सम्बन्धित पदधारक की पदोन्नति की तिथि को एक वेतनवृद्धि का लाभ देते हुए उसका वेतन पुनर्निधारित किया जायेगा और आगामी वेतनवृद्धि उसे पूर्व की भाँति देय होगी।" उक्त शासनादेश के आलोक में ऐसे शिक्षक जो चयन वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमान में कार्यरत हैं और यदि उनकी पदोन्नति समान ग्रेड वेतन में होती है तो उन्हें भी उक्त शासनादेश के आलोक में पदोन्नति की तिथि को एक वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए वेतन पुनर्निधारित किया जायेगा और आगामी वेतन वृद्धि उन्हें पूर्व की भांति देय होगी।

3. यदि किसी कार्मिक का वेतन निर्धारण उपरोक्त वर्णित शासनादेश/स्पष्टीकरण में उपबन्धित व्यवस्था से इतर किया गया है तो उक्तानुसार वेतन/पेंशन का पुनर्निधारण करते हुए अधिक भुगतान की गयी धनराशि का नियमानुसार समायोजन आगामी माहों में देय वेतन/पेंशन से किया जाना कृपया सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।